भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 89

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों का विकास

89. डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि की वर्षा जल पर निर्भरता कम करने के लिए गावों के छोटे जल निकायों जैसे कि तालाबों, नहरों और कुओं को विकसित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए**)** की शुरूआत की थी। वर्ष 2019 में चलाए गए जल शक्ति अभियान की सफलता के बाद**,** वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान **"**कैच द रेन**"** अभियान की शुरुआत की गई**,** जिसका टैग लाइन था**, "**कैच द रेन**,** व्हेयर इट फॉल्स**,** व्हेन इट फॉल्स**"**। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में कैच द रेन अभियान को शामिल करते हुए **"**जल शक्ति अभियान: कैच द रेन**" (**जेएसए:सीटीआर**)** शुरू किया**,** जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। जेएसए:सीटीआर अब वर्ष 2021 से एक वार्षिक विशेषता बन गई है और जेएसए:सीटीआर का 5वां संस्करण दिनांक 09.03.2024 से देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिनांक 09.03.2024 से दिनांक 30.11.2024 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत विभिन्न लक्षित कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) और परिसरों में जल संचयन गड्ढों का विकास**;** मौजूदा आरडब्ल्यूएचएस का रखरखाव और नए चेकडैम/तालाबों का निर्माण**;** पारंपरिक डब्ल्यूएचएस का पुनरुद्धार**;** टैंकों/झीलों और उनके जलग्रहण चैनलों से अतिक्रमण हटाना**;** टैंकों से गाद निकालना**,** बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण**;** वाटरशेड विकास**;** छोटी नदियों और नालों का पुनरुद्धार**;**

आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार और बाढ़-तटों की सुरक्षा आदि शामिल हैं। जल निकायों के विकास और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन से उस समय जब वर्षा कम होती है, पेयजल, कृषि, भूजल के स्तर को बढ़ाने आदि के लिए वर्षा के जल को एकत्र करने में सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की थी। इसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के सृजन का प्रावधान है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) के अंतर्गत हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का एक भाग है जिससे खेत पर पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना (पीडीएमसी) का फोकस सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर है। प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम (पीडीएमसी) सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि के स्तर पर जल के उपयोग की क्षमता को बढ़ाने की दिशा की ओर केन्द्रित है। यह कार्यक्रम और स्कीमें मिलकर उस समय जब वर्षा कम होती है, वर्षा के जल को एकत्र करके पेयजल, कृषि, भूजल के स्तर को बढ़ाने आदि के लिए सहायक होती हैं।

(ग): जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

*****